अधिसूचना

बिहार सरकार

ऊर्जा विभाग

अधिसूचना संख्या–12

दिनांक–3 / 8 / 11

विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 180 (2) (छ) सपठित धारा 103 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा इस निमित्त सभी अन्य समर्थक शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार सरकार, एतद् द्वारा, निम्नलिखित नियमावली बनाती है :–

भाग–1

1 **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ :–** (1) यह नियमावली बिहार विद्युत विनियामक आयोग निधि नियमावली 2011 कही जा सकेगी।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत होगी।

2 **परिभाषाएं :–** (1) इस नियमावली में, जब तक सन्दर्भ में, अन्यथा अपेक्षित न हो –

(क) ''अधिनियम'' से अभिप्रेत है विद्युत अधिनियम, 2003;

(ख) ''आयोग'' से अभिप्रेत है बिहार विद्युत विनियामक आयोग;

(ग) ''अध्यक्ष (चेयर पर्सन)'' से अभिप्रेत है बिहार विद्युत विनियामक आयोग के अध्यक्ष;

(घ) ''निधि'' से अभिप्रेत है बिहार विद्युत विनियामक आयोग का निधि;

(ड.) ''सरकार'' से अभिप्रेत है बिहार सरकार;

(च) ''सदस्य'' से अभिप्रेत है बिहार विद्युत विनियामक आयोग के सदस्य जिसमें आयोग के अध्यक्ष सम्मिलित हैं; तथा

(छ) ''सचिव'' से अभिप्रेत है बिहार विद्युत विनियामक आयोग के सचिव

(2) ऐसे सभी शब्दों एवं अभिव्यक्तियों के, जो इसमें प्रयुक्त है किन्तु परिभाषित नहीं है, वही अर्थ होंगे जो उनके लिए अधिनियम में क्रमशः समनुदेशित किये गये है।

भाग – 2

3. **निधि का गठन :–**

विद्युत अधिनियम की धारा 103 के अधीन यथोपक्षित निधि का गठन एतद् द्वारा किया जाता है। आयोग का वर्तमान बैंक खाता तुरंत के प्रभाव से निधि में संपरिवर्तित हो जायगा।

4 **निधि में अंशदान :–** निधि निम्नलिखित को मिलाकर गठित होगी –

(1) अधिनियम की धारा 103 के अधीन सरकार द्वारा आयोग को किया गया कोई अंशदान एवं ऋण;

(2) अधिनियम के अधीन आयोग द्वारा प्राप्त सभी फीस;

(3) आयोग द्वारा सरकार द्वारा यथाविनिश्चत अन्य श्रोतों से प्राप्त सभी रकम।

5. **निधि का उपयोजना :–** निधि का उपयोजन निम्नलिखित के लिए किया जायगा :–

(1) विद्युत अधिनियम की धारा 91(3) के अधीन अधिकथित प्रावधानों के अनुसार नियुक्त अध्यक्ष, सदस्य, सचिव, पदाधिकारियों एवं राज्य आयोग के अन्य कर्मचारियों के वेतन, भत्ते एवं अन्य पारिश्रमिक;

(2) विद्युत अधिनियम की धारा 91(4) के अधीन अधिकथित प्रावधान के अनुसार अध्यक्ष द्वारा नियुक्त परामर्शी एवं सलाहकार को भुगतान के लिए किए जाने वाले व्यय;

(3) अधिनियम की धारा 86 के अधीन अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए आयोग का व्यय;

(4) अधिनियम के द्वारा प्राधिकृत प्रयोजनों के लिए व्यय;

(5) आयोग के बजट में यथानियत आयोग का व्यय ।

6 **निधि का संचालन :–** (1) निधि का प्रचालन आयोग के अध्यक्ष द्वारा उस रूप में नामनिर्दिष्ट निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा किया जायगा।

(2) आयोग की कोई भी प्राप्ति उसी दिन या दूसरे कार्य दिवस को निधि में जमा की जाएगी ।

7 **प्रचालन का स्थान :–**

आयोग के मुख्यालय में स्थित किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में निधि प्रचालित की जायगी।

8 **आयोग का बजट :–** आयोग प्रत्येक वर्ष अगले वित्तीय वर्ष के लिए ऐसे प्रपत्र में एवं ऐसे समय पर जैसा कि सरकार द्वारा विहित किया जाय, आयोग की प्राक्कलित प्राप्तियों एवं व्यय को दर्शाते हुए अपना बजट तैयार करेगा और उसे सरकार को अग्रसर करेगा।

9 **व्यय शासित करना :–**

निधि से सभी व्यय बिहार वित्तीय नियमावली (समय समय पर यथासंशोधित) के उपबंधों के अनुसार तथा अनुरुप शासित किये जायेंगे।

10 **अधिशेष निधि का निवेश :–** निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, समय समय पर, लाभप्रद लघु अवधि या लम्बी अवधि के लिए किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या भारत सरकार या बिहार सरकार द्वारा संप्रवर्त्तित वित्तीय संस्थाओं में, अधिशेष निधि पर समुचित प्रतिलाभ सुनिश्चित करने हेतु अधिशेष निधि का निवेश कर सके । आनुषंगिक प्रभार जैसे कि ब्रोकरेज, कमीशन इत्यादि, निधि के चार्ज के रुप में लेखांकित किया जायगा। समय समय पर धन के निवेश से अर्जित आय निधि की प्राप्ति के रुप में होगी।

11 **लागू होने का क्षेत्र :–** निधि में जमा किसी रकम का उपयोग नियम 5 में विर्निदिष्ट प्रयोजनों के अलावे किसी प्रयोजन के लिए नहीं किया जायगा।

12 **लेखा एवं अंकेक्षण :–** (1) आयोग के द्वारा प्राप्त सभी राशि निधि में जमा की जायगी जिसके विरुद्ध सभी व्यय का विकलन होगा।

(2) आयोग उपयुक्त लेखा तथा अन्य सुसंगत अभिलेख संधारित करेगा और ऐसे फार्म में जो भारत के लेखा–नियंत्रक और महालेखाकार परीक्षक के परामर्श से सरकार द्वारा विहित किया जाय, वार्षिक लेखा विवरणी तैयार करेगा ।

(3) आयोग के लेखा का अंकेक्षण भारत के लेखा–नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा उनके द्वारा विनिर्दिष्ट समय के अन्तराल पर, किया जायगा एवं ऐसे अंकेक्षण के संबंध में हुआ खर्च, आयोग द्वारा भारत के लेखा–नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को भुगतेय होगा।

(4) भारत के लेखा–नियंत्रक और महालेखा परीक्षक एवं उनके द्वारा इस अधिनियम के अधीन लेखा अंकेक्षण के संबंध में नियुक्त किसी व्यक्ति को वही अधिकार एवं विशेषाधिकार प्राप्त होंगे जो सरकार के लेखा अंकेक्षण के संबंध में सामान्यतः भारत के लेखा–नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को है, और, विशेषतौर से, लेखा पुस्तक, संबंधित वाउचर एवं अन्य दस्तावेज तथा कागजात माँगने एवं आयोग के किसी कार्यालय का निरीक्षण करने का अधिकार होगा।

(5) भारत के लेखा–नियंत्रक और महालेखा परीक्षक या उस निमित्त उनके द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा आयोग का सत्यापित लेखा, इसपर अंकेक्षण प्रतिवेदन के साथ, राज्य सरकार को प्रति वर्ष अग्रसारित किया जायगा और जहां तक संभव हो, सत्यापित लेखा/अंकेक्षण प्रतिवेदन की प्राप्ति के उपरान्त तुरंत होने वाले विधान मंडल के सत्र में उसे सरकार रखवायेगी ।

13 **निधि की बंदी :–** (1) अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों के लागू रहने तक ही निधि प्रचालित रहेगी।

(2) निधि की बंदी के समय जब निधि आगे अपेक्षित न हो, निधि के अधीन खर्च न किया अधिशेष सरकारी खजाने में भेज दिया जायगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–

प्रधान सचिव
ऊर्जा विभाग

ज्ञाप संख्या– पटना, दिनांकः

प्रतिलिपि–उप सचिव, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि इस अधिसूचना को राजपत्र के विशेष अंक में प्रकाशित कर इसकी पाँच सौ प्रतियाँ इस कार्यालय को भेजें।

ह0/–
प्रधान सचिव
ऊर्जा विभाग

ज्ञाप संख्या–3480 पटना, दिनांकः3/8/11

प्रतिलिपि सचिव, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली/ महालेखाकार, बिहार, पटना/ सचिव, बिहार विद्युत विनियामक आयोग, पटना।

ह0/–
प्रधान सचिव
ऊर्जा विभाग